



ऑन लाईन नं. RCMS2019/00059

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 11/2019

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री करणकुमार पुत्र श्री लालचन्द मोतीयानी (नमूना विक्रेता एवं मालिक)  
मै० अमृत डेयरी, 5-पी ब्लॉक डिग्गी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।  
निवासी :- वार्ड नम्बर 21, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(2)/51 एवं 31(2)  
सहपठित 26(2)(5)/58

निर्णय

दिनांक : 18.07.2019

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2018 को दोपहर बाद 1.00 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैकिंग मै० अमृत डेयरी, 5-पी ब्लॉक डिग्गी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचे। वहाँ पर श्री करणकुमार पुत्र श्री लालचन्द मोतीयानी उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर अमृत डेयरी का निरीक्षण किया तो उपरोक्त डेयरी में रखे एक फ्रिज में लगभग 12 किलोग्राम पनीर आमजन को विक्रय हेतु रखा। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या के-911 के नमूनीकरण के लिए 1.00 किलो ग्राम पनीर खरीदा। जिसकी कीमत 250/-रूपये (अखरे दो सौ पचास रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं श्री गुलशन मिठा के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर-5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर पनीर विक्रेता श्री करणकुमार पुत्र श्री लालचन्द मोतीयानी एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।



अति.जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर को बराबर-बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक के-911 एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक के-911 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी. एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1301/एक्ट/2018/1400 दिनांक 20.08.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-911 पनीर अमानक स्तर **SUBSTANDARD** खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री करणकुमार पुत्र श्री लालचन्द मोतीयानी मै0 अमृत डेयरी, 5-पी ब्लॉक डिग्गी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर पनीर का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26(2)(2)/51 एवं 31(2)सहपठित 26(2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री करणकुमार पुत्र श्री लालचन्द मोतीयानी (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त पनीर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया पनीर का सैम्पल के-911 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1301/ एक्ट /2018/1400 दिनांक 20.08.2018 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा



अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

26 (2)(2) का उल्लंघन है तथा जुर्माना योग्य अपराध है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में वर्णित है। साथ ही पनीर विक्रेता के पास नमूनीकरण के समय खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं होना धारा 31 (2) का उल्लंघन है तथा धारा 26(2)(5) के अनुसार जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में वर्णित है। अतः नमूना विक्रेता से लेकर निर्माता तक एफएसएसए 2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आते हैं। अतः उक्त विक्रेता पर जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त श्री करणकुमार पुत्र श्री लालचन्द मोतीयानी (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त पनीर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 20.08.2018 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) तथा 26(2)(5) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात पनीर विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त श्री करणकुमार पुत्र श्री लालचन्द मोतीयानी (नमूना विक्रेता एवं मालिक) पर Food Safety and Standards ( FOOD PRODUCTS STANDARDS AND FOOD ADDITIVE) Regulation 2011 के Regulation No.2.1.16. **SUBSTANDARD** पनीर का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 एवं 31(2) सहपठित 26 (2)(5)/58 के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 5000/-रूपये (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्त्रि अधिरोपित की जाती है जो उसके द्वारा रसीद नम्बर 0014 बुक नम्बर 053371 दिनांक 18.07.2019 द्वारा जमा करवा दी गई है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त पनीर का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ.पी.जैन)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशाद)  
श्रीगंगानगर